भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4681
दिनांक 21 अगस्त, 2025

कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के अन्वेषण को विनियमित करने वाले ढांचे का आधुनिकीकरण

†4681. डॉ. के. सुधाकरः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अपस्ट्रिम कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन को विनियमित करने वाले नियामक ढांचे के आधुनिकीकरण हेतु हाल ही में कोई सुधार किए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो और विशेषकर निवेशक के विश्वास में बढ़ोतरी, अवसंरचना साझाकरण और परिचालन संबंधी लचीलेपन के संबंध में तत्संबंधी व्यौरा और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
(ग) क्या उक्त सुधारों में पेट्रोलियम पट्टा क्षेत्रों के भीतर नवीकरणीय और निम्न-कार्बन ऊर्जा परियोजनाओं के एकीकरण को सुगम बनाने के उपाय भी शामिल हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा नए ढांचे के अंतर्गत पर्यावरणीय सुरक्षा, डेटा प्रबंधन और विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) हाल के वर्षों में अन्वेषित तेल कुओं के साथ-साथ किए गए गैस अन्वेषण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025 दिनांक 28 मार्च 2025 को अधिसूचित किया गया था और दिनांक 15 अप्रैल, 2025 से प्रभावी किया गया था। तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कठिनाइयों को कम करना और निवेशकों का विश्वास बढ़ाना शामिल है, की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) पेट्रोलियम प्रचालनों को खनन प्रचालनों से डी-लिंक करना;

(ii) "खनिज तेल" से संबंधित अभिव्यक्ति के दायरे का विस्तार करना;

(iii) "पेट्रोलियम लीज" की अवधारणा को शुरू करना;

(iv) स्थायी शर्तों पर लीज प्रदान करना;

(v) लीज अथवा लाइसेंस प्रदान करना, उनका विस्तार अथवा नवीनीकरण, तेल क्षेत्रों में अवसंरचना और सुरक्षा सहित उत्पादन तथा प्रसंस्करण सुविधाओं की साझेदारी जैसे विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं को प्रशासित करने के लिए बनाए गए नियमों के माध्यम से पेट्रोलियम प्रचालनों को सुदृढ़ करना;

(vi) प्रभावी रूप से विवाद समाधान प्रदान करना;

(vii) अधिनियम के प्रावधानों को अपराधमुक्त करना।

(viii) शास्ति का प्रावधान, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन तथा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील;

(ix) तेल क्षेत्रों में खनिज तेल के साथ-साथ पवन और सौर ऊर्जा के दोहन हेतु व्यापक ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को सक्षम बनाकर ऊर्जा बदलाव को सुगम बनाने के लिए वातावरण तैयार करना।

(ङ): गत तीन वर्षों के दौरान हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को प्रचालकों द्वारा 34 खोज के नोटिस (एनओडी) प्रस्तुत किए गए हैं। विवरण निम्नानुसार है:

गत 3 वर्षों के दौरान हाइड्रोकार्बन खोजों के प्रकार				
वर्ष	गैस	तेल	तेल और गैस	समग्र योग
2022-23	6	4	2	12
2023-24	5	5	2	12
2024-25	5	3	2	10
समग्र योग	16	12	6	34

इन खोजों में से 21 खोजें भूमि क्षेत्र पर तथा इन खोजों में से 13 खोजें अपतटीय क्षेत्रों पर हैं।

*****